लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2176

जिसका उत्तर बुधवार, 02 अगस्त, 2023 को दिया जाएगा

रसायनों के मानकों में संशोधन

2176. कुमारी राम्या हरिदास:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय मानक ब्यूरो के तहत रसायन/रासायनिक यौगिकों/बोरिक एसिड जैसे उत्पादों के लिए मौजूदा मानकों को बदलने या संशोधित करने की कानूनी और औपचारिक प्रक्रिया क्या है;
(ख) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा भारतीय परिस्थितियों और व्यवसायों को लाभ पहुंचाने वाले रासायनिक यौगिकों के लिए मानकों को मजबूत करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या बोरिक एसिड जैसे रसायनों के लिए मौजूदा मानकों को बदलने से पहले ऐसे परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा पहलुओं का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) वर्तमान में पतला मानक (डिलूटेड स्टैडर्ड) लाकर या सल्फेट्स और क्लोराइड्स के लिए अलग-अलग मापदंडों के साथ तकनीकी ग्रेड बोरिक एसिड का एक और ग्रेड/उप ग्रेड बनाकर बोरिक एसिड से सल्फेट्स और क्लोराइड एडिटिव्स की आवश्यक सीमा को हटाने की योजना बना रहा है; और
(च) यदि हां, तो ऐसे निर्णय का मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ अंतिम उपभोक्ता उद्योगों की परिचालन स्थिरता और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 में भारतीय मानकों की स्थापना के लिए नियम 15, भारतीय मानकों की स्थापना की प्रक्रिया के लिए नियम 22 और किसी भी उत्पाद जिसमें रसायन, रासायनिक यौगिक और बोरिक एसिड जैसे उत्पाद शामिल हैं, के लिए भारतीय मानकों को स्थापित/संशोधित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए नियम 23 शामिल हैं।

नियम संख्या 23 भारतीय मानकों का पुनरीक्षण, संशोधन, वापस लेने से संबंधित है - ब्यूरो समय-समय पर, कम से कम पांच वर्ष में एक बार, सभी स्थापित भारतीय मानकों का पुनरीक्षण करता है ताकि ऐसे मानकों के संशोधन, परिशोधन, पुनर्पुष्टि या वापस लेने की आवश्यकता निर्धारित की जा सके।

ब्यूरो के पास अधिसूचना द्वारा भारतीय मानक के ऐसे प्रावधानों को, अनंतिम संशोधन करने की शक्ति है, जो उसके विचार में अधिनियम के किसी भी उद्देश्य की शीघ्र पूर्ति के लिए आवश्यक हैं और इस प्रकार किए गए संशोधनों को यदि अनुभागीय संबंधित समिति ने अधिसूचना की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर परीक्षण के बाद संशोधित मानकों को मंजूरी दे दी है, तो बिना किसी अधिसूचना के नियमित किया जाता है

(ख): भारतीय मानकों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, तकनीकी समितियों में घरेलू हितधारकों के साथ उचित परामर्श किया जाता है।

तकनीकी समितियों में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उपभोक्ताओं, नियामक और अन्य सरकारी निकायों, उद्योग जगत, परीक्षण प्रयोगशालाओं या अंशांकन प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों जैसे विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगत हितधारक तकनीकी समितियों का हिस्सा हों और ऐसी समितियों की संरचना भी समय-समय पर अद्यतन की जाती है। हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए समय-समय पर विभिन्न हितधारक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ग और घ): **बीआईएस नियम 2018 के नियम 17 में** कहा गया है कि प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन पर ब्यूरो के संबंधित अधिकारियों, विशेषज्ञों और सभी हितधारकों को शामिल करते हुए नियम के तहत विधिवत गठित एक अनुभागीय समिति द्वारा विचार किया जाना है। संगत विशेषज्ञ और हितधारक अपने साथ तकनीकी ज्ञान और अनुभव लाते हैं जो अलग-अलग मानकों को संशोधित/तैयार करने के लिए आवश्यक हैं।

उदाहरण के लिए, बोरिक एसिड मानक, आईएस 10116 के मामले में - विभिन्न अनुसंधान संस्थानों (आईआईटी मुंबई, सीएसएमसीआरआई), एकेडेमिया (आईआईटी बॉम्बे) और नियामक निकायों (जैसे रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग) से तकनीकी इनपुट प्राप्त किए गए और 2015 में मानक का संशोधन करते समय उन पर विचार किया गया ।

(ड. और च): इस विषय पर बीआईएस तकनीकी समिति ने उचित चर्चा के बाद बोरिक एसिड मानक (आईएस: 10116) में वर्तमान में यथा निर्धारित क्लोराइड और सल्फेट्स की रेंज को बनाए रखने का निर्णय लिया। यह विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा किए गए तकनीकी अध्ययनों के परिणामों पर भी विचार-विमर्श करता है ताकि समय-समय पर मानक में और सुधार किया जा सके।

******